अपील सूचना अधिकार संख्या 75/2018 (RCMS 2018/00197)
श्री दाऊलाल पुत्र हरदास रंगा निवासी राजरंगो की गली, रताणी व्यासों का चौक, बीकानेर बनाम अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.02.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2018 से सूचना के अधिनियम 6(1) के तहत तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निश्चित अवधि में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसके द्वारा यह अपील पत्र दिनांक 15.10.2018 का पेश करके प्रार्थना की है कि उसे वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अपील के निर्णय तक क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे एवं राजकीय अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे

अपीलार्थी श्री दाऊलाल रंगा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ से निम्न सूचनाएं चाही थी :

1. मुकद्दमा संख्या रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 29/14 शिवशंकर बनाम स्टेट के संलग्न पत्रावली के फर्द अहकाम दिनांक 27.03.2018 से आज दिनांक 31.082018 की नकले उपलब्ध कराने का श्रम करें।
2. आगामी तारीख पेशी से भी अवगत कराने का श्रम करें।
3 प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2017 एवं 27.05. 2017 एवं 15.09.2017 पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ ने अपने पत्रांक रीडर/18/988 दिनांक 09.10.2018 के द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से सूचित किया गया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही जा रही नकल फर्द अहकाम दिनांक 27.03.2018 से आज दिनांक तक की नकल पत्र के संलग्न प्रेषित है।

उक्त के अतिरिक्त अपील पत्र के संदर्भ में सूचनाओं के सम्बन्ध में जो जवाब दिया गया है वह निम्नानुसार है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम कें निवेदन है कि प्रार्थी श्री दाउलाल रंगा पुत्र हरदास रंगा(सेवानिवृत आईएलआर) राजरंगों की गली, रत्ताणी व्यासों का चौक, बीकानेर का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2018 द्वारा प्रार्थी श्री दाऊलाल रंगा को वांछित नकल भिजवा दी गई थी। नकल निर्धारित समय में भिजवाई गई थी एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्या 29/2014 अनवान् शिवंशकर बनाम सरकार जिसका आगामी तारीख पेशी 21.01.2019 निर्धारित है। जैरकार प्रार्थना पत्रों का नियमानुसार निस्तारण कर दिया जाएगा। सूचना श्रीगंगानगर श्रीमान्जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी को वांछित फर्दअहकामों की प्रतियां पत्र दिनांक दिनांक 09.10.2018 के द्वारा भेजी जा चुकी है और प्रतिवेदन दिनांक 09.01.2019 से भी स्पष्ट है कि वांछित सूचना दिनांक 09.10.2018 द्वारा अपीलार्थी को भिजवाई गई है और प्रतिवेदन दिनांक 09.01.2019 के अनुसार प्रकरण में आगामी पेशी 21.01.2019 निर्धारित की गई है और जैरकार प्रार्थना पत्रों का निस्तारण भी नियमानुसार कर दिया जाएगा, अंकित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा दिया गया उत्तर सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। इस आदेश की एक प्रति सूचनार्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ को भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर